



CIN: L74110DL2007PLC396238

+91-80762 00456



www.integraessentia.com  
cs@integraessentia.com



Unit No. 607, 6th Floor, Pearls Best Height-II,  
Netaji Subhash Place, New Delhi-110034, IN



July 21, 2024

*Listing Compliance Department*  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai 400051

*Listing Compliance Department*  
**BSE Limited**  
Phirozee Jeejeebhoy  
Towers, Dalal Street, Fort,  
Mumbai - 400 001

**NSE Symbol: ESSENTIA**

**Scrip Code: 535958**

**Sub: Newspaper Advertisement for Unaudited Financial Results - Quarter ended June 30, 2024**

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2024, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated July 21, 2024 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the company's website: [www.integraessentia.com](http://www.integraessentia.com)

We request you to kindly take the above information on record and oblige.

**Thanking you,**

**Yours Faithfully,**

*for Integra Essentia Limited*

**Pankaj Kumar Sharma**  
**Company Secretary & Compliance Officer**



मुंबई : छज्जे का हिस्सा ढहने से महिला की मौत

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा)। दक्षिण मुंबई में शनिवार को ग्रेड रोड रेलवे स्टेशन के पास स्थित चार मंजिला रिहाइशी इमारत के छज्जे का कुछ हिस्सा ढहने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।

कि रविनिन्सा मंजिल नामक इमारत ग्रेड रोड रेलवे स्टेशन के पास स्लीटर रोड पर स्थित है। उन्होंने कहा कि घटना पूर्वाह्न करीब 11 बजे हुई। अधिकारी ने कहा, 'बालकनी का कुछ हिस्सा ढहने के कारण चार लोग घायल हो गए। उन्हें एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि तीन अन्य का इलाज किया जा रहा है।'

कुवैत में केरल के एक परिवार के चार सदस्यों की मौत

पथनमथिठ्टा, 20 जुलाई (भाषा)। कुवैत में रहने वाले पथनमथिठ्टा के एक परिवार के चार सदस्यों की उनके घर में आग लगने से मौत हो गई। घटना शुक्रवार की रात कुवैत के अब्बासिया में हुई। मृतकों की पहचान मैथ्यू मुजकवल, उसकी पत्नी लिली अब्राहम, उनके बच्चों इसाक और एरिन के रूप में हुई। परिवार

छुट्टियों के बाद एक गुरुवार को कुवैत के लिए रवाना हुआ था। एकर रिश्तेदार ने शनिवार को मीडिया को बताया, 'मैथ्यू पिछले 15 साल से वहां काम कर रहा था। उसकी पत्नी नर्स थी। बच्चे वहां पढ़ रहे थे। वे गुरुवार रात नेटवर्क से छुट्टियां मनाकर गए थे।' यहां मृतकों के परिवार को अभी तक उनके शव गृह क्षेत्र में लाए जाने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

महबूबा ने कांवड़ यात्रा मार्ग से जुड़े विवाद पर कहा

संविधान को कुचल रही है भाजपा

श्रीनगर, 20 जुलाई (भाषा)।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर प्रहार करते हुए शनिवार को कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को उनके मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश संविधान के खिलाफ है, जो सभी को समान अधिकार की गारंटी देता है।

'विकसित भारत' का क्या यही मार्ग है : सिब्बल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 20 जुलाई।

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखे जाने के राज्य सरकार के आदेश को शनिवार को 'विभाजनकारी एजेंडा' करार दिया।



पीडीपी के एक कार्यक्रम में मुफ्ती ने कहा कि यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार संविधान को कुचल रही है जो धर्म या नाम के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है। मुफ्ती ने कहा कि (कांग्रेस नेता) राहुल गांधी ने सही कहा था कि अगर उन्हें (भाजपा को) 400 से ज्यादा सीटें मिल गईं तो वे संविधान को नष्ट कर देंगे। वे 350 सीट से 240 पर आ गए, लेकिन उन्होंने सबक नहीं सीखा है, वे संविधान के खिलाफ काम करना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे देश में टकराव फैलने का खतरा है और टकराव देश में भाजपा के विनाशकारी प्रभाव को जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया, उन्हें यह समझ आ गया होगा कि यह पार्टी 'किसी भी तरह से संविधान को नष्ट करना चाहेगी।' पहले वे (भाजपा) मुसलमानों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, इसके बाद दलितों और फिर पिछड़ों और अन्य जातियों की बारी आएगी क्योंकि वे एक अलग व्यवस्था बनाना चाहते हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया, वह इस देश के संविधान के खिलाफ है।

मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों पर मालिकों का नाम लिखे जाने का आदेश जारी किया था। इस विवादास्पद आदेश को कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लागू कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पूर्व में जारी किए गए हैं। सिब्बल ने 'एक्स' पर उत्तर प्रदेश में कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे लगने वाले टैलों सहित सभी खाने-पीने की दुकानों को उन पर मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। क्या यही है 'विकसित भारत' का मार्ग? कांग्रेस के पूर्व नेता और निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने कहा कि विभाजनकारी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को विभाजित करेगा। विपक्ष के कई नेताओं ने इस आदेश पर आपत्ति जताई और इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। कांग्रेस ने शुक्रवार को इस आदेश को 'शरारत' और 'पक्षपात' करार दिया था।

मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण के लिए फिर भूख हड़ताल शुरू की

जालना, 20 जुलाई (भाषा)।

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के जालना जिले में शनिवार को उस मसविदा अधिसूचना को लागू करने की मांग करते हुए फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें कुनबियों को मराठा समुदाय के सदस्यों के रक्त संबंधी के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। जिले के अंतरवली सरती गांव में उपवास शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र सरकार आरक्षण मुद्दे पर वादा पुरा करने में विफल रही है। इससे जरांगे ने आरक्षण के मुद्दे पर अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करने के छह दिन बाद ही उसे निलंबित कर दिया था और सरकार के लिए मराठा

समुदाय की मांग मानने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की थी। शनिवार को जरांगे ने कहा कि मुझे यह उपवास इसलिए शुरू करना पड़ा क्योंकि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। मैं आखिरी सांस तक यह हड़ताल जारी रखूंगा। 29 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें मराठा समुदाय तय करेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाए या नहीं। अनिश्चितकालीन अग्रसर के दौरान वे सात अगस्त से 13 अगस्त तक राज्यव्यापी दौरा करेंगे। जरांगे ने कहा कि मैं पंजुलेंस में महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए 14-20 अगस्त तक अंतरवली सरती में कई बैठकें होंगी। 29 अगस्त को यदि समुदाय कोई प्रयाशी नहीं उतारने का निर्णय लेता है तो हम कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन, तब हम उन लोगों को हारने की दिशा में काम करेंगे जो मराठा आरक्षण का विरोध करते हैं और उनका समर्थन करेंगे जो उसके पक्ष में हैं।

केन फिज होम्स लिमिटेड

सी-18, परम प्लाजा, आर.डी.सी., गाजियाबाद, 201001, संक. 0120-4086097, 7625079222 ई-मेल ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699 नियम 8(1) कक्षा सूचना (अवल संपत्तियों के लिए) जबकि अयोध्यावासी ने केन फिज होम्स लिमिटेड के प्रॉपर्टि आधिकारी के रूप में, वित्तीय अतिरिक्त का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विध्यावली 2002 के अर्धीन तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विध्यावली 2002 तहत प्रवर्तन अधिकार का प्रयोग करने हुए मान सूचना विनियमन विधियों को जारी की थी जिन्हें विनियमित कर्मान्तर्गत/ सह-कर्मान्तर्गत/ गारंटेड से सूचना में वर्णित प्रकृत्य राशि तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक सोदायक दर पर श्याम का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है।

मेयर एपैरल लिमिटेड

CIN: L18101HR1993PLC032010 पंजीकृत कार्यालय: 3, एच 4, मुहल्ले नं. 19, फिरोज़ नगर, 201001, संक. 0120-4086097, 7625079222 ई-मेल meyrapparel@meyrapparel.com, CIN: L18101HR1993PLC032010 सूचना सेबी (पूचविचार दायित्व एवं उपकरण अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ निहित विनियमन 29 के अनुसरण में एलएचए सुविधा किया जाता है कि मेयर एपैरल लिमिटेड के निदेशक मंडल को बैठक सोचवारा, 29 जुलाई, 2024 को 04.30 बजे अप. में हिंडीको कार्मसिंस द्वारा आयोजित की जावनी जिसमें अन्य विधियों के अलावे 30 जून, 2024 को समाप्त विभागी के अनधिकृत वित्तियत विभागी तथा अन्य मंती पर विचार तथा अनुमति किये जाएंगे। यह सूचना केयमती की वेबसाइट https://www.meyrapparel.com तथा बीएसई लि. की वेबसाइट https://www.bseindia.com जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध हैं।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-1, DELHI. 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001. O.A No. 425/2023. ICICI BANK LTD. Vs MANISHA THAKRAN. (1) MANISHA THAKRAN W/o-BIJENDER THAKRAN P/No. 67, 3RD FLOOR, PKT-5, SEC-21, ROHINI, DELHI-110085. (2) MR. BIJENDER THAKRAN R/O, H. No. 67, 11RD FLOOR, PKT-5, SEC-21, ROHINI, DELHI-110085.

HINDUJA HOUSING FINANCE हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड. 400 प्रतिकृत कार्यालय: नमक 467-169, 169, चूरनी मण्डल, इलाहाबाद, उन्नाव, यूपी, 201002. 2022 (अधिनियम 84, 2002) के अंतर्गत हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अलिखित अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 14-03-2024 को एक मान नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता/गारंटर श्री गजिंदर सिंह यादव (उधारकर्ता) एवं श्रीमती वंदना (सह-उधारकर्ता) (अर्थात् संख्या DLJNK/JNKP/A000000570) को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 16,99,328/- बाय एवं अन्य व्यय दिनांक 06-03-2024 से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD 9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002 E-AUCTION SALE NOTICE. D.R.C. No. 123 of 2022, Axis Bank Ltd. Vs Padam Chand & other (Under Rule 52(2) of Second Schedule to the IT Act, 1961 r/w Sec 25 to 29 of RDDBI & FI Act 1993). Property description: Flat no. 502 Fifth Floor, Havell Apartment, Khandari, Bye-Pass Road, Agra-282004 having Area 83.14 Sq. Mt. Earnest Money Deposit: 10% amount of reserve price as earnest money (EMD) as detailed against each property through electronic transfer in the Account Debt Recovery Tribunal Allahabad U.P., Account No. 199104000000199 with IDBI Bank, Branch M.G. Marg Allahabad, IFSC IBKL0000199 latest by 5:00 PM on 03.08.2024 and the E.M.D. received thereafter shall not be considered.

डेब्टा एंजेंडिया लिमिटेड. 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण. Table with columns for period (30 Jun 2024, 31 Mar 2024, 30 Jun 2023, 31 Mar 2023), category (Total Income, Total Expenses, Profit Before Exceptional Items and Tax, etc.), and values.

VIKAS LIFECARE LIMITED. UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS. Table with columns for period (30-Jun-24, 31-Mar-24, 30-Jun-23, 31-Mar-23), category (Total Income, Total Expenses, Profit Before Exceptional Items and Tax, etc.), and values.

केन फिज होम्स लिमिटेड. सी-18, परम प्लाजा, आर.डी.सी., गाजियाबाद, 201001, संक. 0120-4086097, 7625079222. ई-मेल ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699. नियम 8(1) कक्षा सूचना (अवल संपत्तियों के लिए) जबकि अयोध्यावासी ने केन फिज होम्स लिमिटेड के प्रॉपर्टि आधिकारी के रूप में, वित्तीय अतिरिक्त का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विध्यावली 2002 के अर्धीन तथा उक्त अधिनियम और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विध्यावली 2002 तहत प्रवर्तन अधिकार का प्रयोग करने हुए मान सूचना विनियमन विधियों को जारी की थी जिन्हें विनियमित कर्मान्तर्गत/ सह-कर्मान्तर्गत/ गारंटेड से सूचना में वर्णित प्रकृत्य राशि तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक सोदायक दर पर श्याम का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संयोजित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) सूचना: 20.07.2024. Table with columns for serial number, description, date, and amount.